Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Speaker made Valedictory Reference on the conclusion of the Fourteenth session of the Sixteenth Lok Sabha.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यण, सोलहवीं लोक सभा का चौदहवां सत्र आज समाप्त हो रहा है।

इस बजट सत्र का पहला भाग माननीय राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय कक्ष में दोनों सभाओं के एक साथ समवेत् सदस्यों को 29 जनवरी, 2018 को किए गए संबोधन के साथ प्रारंभ हुआ।

11 06 hrs

(*At this stage, Shri Thota Narasimham and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)*

-

माननीय अध्यक्ष : केन्द्रीय बजट जिसमें वर्ष 2018-19 के सामान्य और रेल, दोनों बजट शामिल थे, 1 फरवरी, 2018 को पेश किया गया।

इस सत्र के दौरान, कुल 29 बैठकें हुईं जो 34 घंटे और 05 मिनट चलीं। इनमें से 7 बैठकें सत्र के पहले भाग में और 22 बैठकें दूसरे भाग में हुईं।

सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। यह 10 घंटे और 43 मिनट तक चली। बहस के पश्चात् यह 7 फरवरी, 2018 को पारित हुआ।

वर्ष 2018-19 के केन्द्रीय बजट पर चर्चा 7 और 8 फरवरी, 2018 को हुई। बजट पर चर्चा 12 घण्टे 13 मिनट तक चली।

सभा 9 फरवरी, 2018 को स्थगित की गई ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स की जांच कर सकें और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें।

रिसेस के पश्चात् बजट सत्र का दूसरा भाग 5 मार्च, 2018 को प्रारंभ हुआ।

दूसरे भाग के दौरान वर्ष 2018-19 के लिए बजट (जनरल) के संबंध में, रेल सहित सभी मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा गया और 14 मार्च, 2018 को ये पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं तथा संबंधित एप्रोप्रियेशन बिल पारित किया गया।

सभा ने 14 मार्च, 2018 को फाइनेंस बिल भी पारित किया।

वर्ष 2017-18 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स के चौथे बैच को पारित किया गया और संबंधित एप्रोप्रियेशन बिल भी पारित किया गया।

चालू सत्र के दौरान, 5 सरकारी विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए। कुल मिलाकर 5 विधेयक पारित किए गए। इनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं - The Finance Bill, 2018, The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017 और The Specific Relief (Amendment) Bill.

सत्र के दौरान, 580 तारांकित प्रश्नों में से 17 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन प्रतिदिन 0.58 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर, 6670 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए।

माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 238 मामले उठाए।

इस सत्र के दौरान, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 61 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 43 स्टेटमैंट्स (नियम 199 के अधीन एक स्टेटमैंट और माननीय संसदीय कार्य मंत्री के 3 स्टेटमैंट्स) दिए गए।

सत्र के दौरान, संबंधित मंत्रियों द्वारा कुल 1185 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

इस सत्र में जबकि व्यवधान और विभिन्न कारणों से स्थगनों के कारण 127 घण्टे 45 मिनट तक कार्य बाधित रहा। सभा ने 9 घण्टे और 47 मिनट देर तक बैठकर अविलम्बनीय सरकारी कार्य भी पूरा किया। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि यह सभा सदस्यों के लिए जनहित तथा लोक कल्याण के मुद्दों को उठाने हेतु सर्वाधिक पवित्र मंच है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को उठाने से संबंधित उनकी चिंताओं को समझती हूं लेकिन उन्हें देश के व्यापक हितों को भी ध्यान में रखना होगा। मेरा हमेशा से यह प्रयास रहा है कि समुचित सूचनाएं देने पर सदस्यों को सभा में मुद्दों को उठाने का अवसर प्राप्त हो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सकारात्मक पहलू के रूप में मैं यहां विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी कि सभा में गतिरोध होते हुए भी मुझे राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन 10 और 11 मार्च 2018 को आयोजित करने में सभी दलों का सहयोग प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन जिसका थीम "विकास संकल्पित हम" था, इसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया गया।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You have also cooperated. सम्मेलन के दौरान संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों तथा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और देश के आकांक्षापूर्ण जिलों में कल्याणकारी कदमों के बारे में सार्थक चर्चाएं कीं। इस सम्मेलन की सफलता मेरे लिए सचमुच ही अत्यंत हर्ष की बात है।

…(व्यवधान)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): Madam, come to the No-Confidence Motion. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : जो इस तथ्य को रेखांकित करती है कि जब भी जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों की बात आती है तब राजनीतिक मतभेदों से परे विधान मंडलों एवं सांसदों का भ्रातृत्व उभरकर सामने आता है।

सकारात्मक पहलों की बात आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 4 अप्रैल 2018 को वेस्टर्न कोर्ट सौध भवन का लोकार्पण किया गया। इस सौध भवन की सरंचना अपने आप में अत्याधुनिक है और इसके निर्माण को निर्धारित समय सीमा से छह माह पहले ही पूर्ण कर लिया गया तथा यह अगली लोक सभा के लिए आम चुनाव के बाद, विशेष रूप से नवनिर्वाचित सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण आवास की सुविधा प्रदान करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यह नया भवन सदस्यों के अतिथियों और पूर्व सदस्यों के लिए भी उपयोगी हो, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। मैं इस उपलब्धि को हासिल करने में योगदान देने वाले सभी इंजीनिएर्स, आर्किटेक्ट्स, शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देती हूँ।

मैं सभा के संचालन में अपना सहयोग देने के लिए माननीय उपाध्यक्ष, लोक सभा और सभापति तालिका में शामिल अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद करती हूं।

…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, you should condemn the Government. … (*Interruptions*) They have not supported you.

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं इस अवसर पर लोक सभा महासचिव एवं लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में सभी सम्बद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि अब "वन्दे मातरम्" की धुन बजाई जाएगी।

(The National Song was played.)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die.*

11 15 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.